FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरली देवी बनाम रामेश्वर वगै.

मुकदमा प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 86 सन 2017

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, मौका कमीश्नर रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र मय क्रास टी.आई., जवाब क्रास टी.आई., राजस्व रिकॉर्ड, फोटोग्राफ्स, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम थोई स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2, 3, 17, 19, 34 कुल किता 5 कुल रकबा 12.12 हैक्टे. खसरा नंबर 107 ता 109 कुल किता 3 कुल रकबा 6.89 हैक्टे., खसरा नंबर 1 रकबा 9.50 हैक्टे. में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थीण वादग्रस्त भूमियों का मौके पर बाहमी बंटवारा कर, ट्यूबवैल, आदि बनाकर काबिज काश्त हैं। जहां तक विवादित 0.30 हैक्टे. भूमि जो खसरा नंबर 17 राजस्व ग्राम थोई में स्थित है का कब्जे काश्त का प्रश्न है के तथ्य का बाद साक्ष्य निर्णय मूलवाद के निस्तारण के उपरान्त ही संभव है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के कब्जे काश्त को लेकर घोषणा, विभाजन, दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखावट समझौता के आधार पर अप्रार्थीगण को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं यह तथ्य भी बाद साक्ष्य मूल वाद में ही तय होगा। पूर्व में उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.04.2016 को तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित समझता हूँ। **आदेश** उक्त विवेचन के आधार पर राजस्व ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2, 3, 17, 19, 34 कुल किता 5 कुल रकबा 12.12 हैक्टे., खसरा नंबर 107, 108, 109 कुल किता 3 कुल रकबा 6.89 हैक्टे., खसरा नंबर 1 रकबा 9.50 हैक्टे. भूमि के क्रम में पूर्व पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.04.2016 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	मुरली देवी / रामोतार वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा पत्र टी.आई. क्र. न 86/17	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) सहायक (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner